

कार्यालय, चास नगर परिषद
चास (बोकारो)

दिनांक 10/04/2013

पत्रांक 327

सेवा में

श्री मनी शोभा शर्मा
स्वतंत्र पत्रिका - श्री अजय प्रभात
पता - अजय प्रभात, 41/3

विषय :- मीजा नं० 2/मामनीपुल के खाता नं० 13 खाते नं० 873 खाता नं० 15-0 370
श्रीसमील पर आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु आपका आवेदन दिनांक 25/03/2013
गृह प्लान नं० 310 से 328/29/2-13

महाराज,

निदेशानुसार सूचित करना है कि उपर्युक्त विषय वर्णित भू-खण्ड पर गृह निर्माण की स्वीकृति दिनांक 3/03/2013 को अबोलिखित शर्तों के साथ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा - 427 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

01. प्रस्तावित भवन का निर्माण प्रारम्भ करने के एक सप्ताह पूर्व कार्य प्रारम्भ करने की सूचना विहित प्रपत्र में भ्रकर अटोहरतादारी को देना है। स्थिति लेबल तक कार्य हो जाने के पश्चात् उसकी फोटोग्राफ कार्यालय में जमा करना होगा।

02. प्रस्तावित गृह का निर्माण कार्य अनुकूलितकारी की देख-रेख में करावी जाय, ताकि ये समय-समय पर निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन अटोहरतादारी को दे सकें।

03. प्रस्तावित गृह का निर्माण इस पत्र की प्राप्ति के दो वर्षों के अन्तर पूरा कर उसकी सूचना कार्यालय को अवश्य दें।

04. गृह निर्माण पूर्ण रूपेण स्वीकृत नक्शों के अनुसार की करना है।

05. ड्रेनेज की व्यवस्था स्वीकृत नक्शों के अनुरूप करावी जाय एवं गाड़ी को मुख्य नाली से मिलाने।

06. गृह निर्माण का निरीक्षण नगर परिषद के किसी प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय दिन में किया जा सकता है तथा नक्शों के प्रतिकुल पाए गए निर्माण को नियमानुसार तोड़वाना जायेगा और साथ ही दंड के भागी होने।

07. वाटर हाररिस्टिंग हेतु सैंकपिट का निर्माण करावे।

08. पर्यावरण सुरक्षा हेतु कम से कम तीन वृक्ष लगावे।

09. इस नक्शों की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि राज्य सरकार के अधीन कोई नवीनतम नियमानुसारी/सं० नं० सं० में निहित मार्गदर्शिका का अनुपालन सखी से हो तथा कोई उल्लंघन न हो।

10. नक्शा की स्वीकृति भूमि स्वाभिव्य का प्रमाण नहीं होगी।

11. भवन निर्माण प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि निबंधन कराते हुए झारखण्ड भवन एवं अन्य रनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लिए न्युनतम लागत (रु० 800/- प्रति वर्गफीट की दर से) का 1% प्रतिशत उपकर जमा करने की जिम्मेवारी आपकी होगी।

12. G+3 से अधिक भवन निर्माण का से-आउट के पूर्व सक्षम एजेन्सी से Soil Bearing Capacity Test कराते हुए उसकी एक प्रति नगर परिषद को अवश्य समर्पित करें।

अनु० :- यद्योपरि कार्यपालक पदाधिकारी चास नगर परिषद।

कार्यपालक पदाधिकारी
चास नगर परिषद।
25/3/13

आपक...../दिनांक.....
प्रतिितिपि :- माननीय अध्यक्ष/उपअध्यक्ष महोदय को सादर सूचनाएं अमरसहित एवं सहायक अभिवंता को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/13

कार्यपालक पदाधिकारी
चास नगर परिषद।